Regd. No. 68515

दादा महेशर ग्राम विकास समिति

मदनपुर डबास, दिल्ली-110081

क्रमांक 2012-13/9 दिनांक 20-4-2012

दिल्ली विकास प्राधिकरण
केन्द्रीय डायरी कक्ष
प्राप्ति एवं प्रेषक (मुख्य)
1 - MAY 2012
डायरी सं० R-2936

Commr (Plg)-II
Daily No. 1643
Date 2-5-12

सेवा में,

श्रीमान उपराज्यपाल जी,

राज निवास-नई दिल्ली

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC
Dy No. 2434
Dated 7/5/12

सचिव कार्यालय
SECRETARY'S OFFICE
डायरी सं० 24 MP
Dy. No.
दिनांक
Date 01-5-12

विषयः- दिल्ली के गांव के भूमी सम्बंधी व भवन निर्माण सम्बंधी।

मान्यवर,

आप का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटोफीकेसन No. 97(e) 17.1.2011 जो भारतीय गजट न०-87 में छापा गया और 17.01.2011 से दिल्ली में लागु है। श्री पी.वी. श्रीवास्तव जो दिल्ली के गाव के लाल डोरा व आबादी विस्तार के निष्कर्ष विनेज्ञय कमेटी के चेयर मैन ने जनवरी 2007 में अपने निष्कर्ष दिये थे, उन को दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (MPD-2021) व जोनल विकास प्लान (N जोन) द्रकिनार कर दिया था जिससे गांव मदनपुर डबास के निवासी भी प्रभावित हुए हैं। जो निम्न प्रकार हैः-

1. गांव के विकास के सभी प्रकार के दफतर, वाणिज्य, I.T. सम्बंधी, Call Center इत्यादि के लिए कोई व्यवस्था नही की क्या इनकी जरूरत गांव में नही है?
2. गांव में छोटे दुकानदार, कारीगरों के लिए कार्य हेतू मंजूरी न दी गई।
3. किसानों से ली गई जमीन जिससे उनके रोजगार छिन गए। उसके लिए विकसित की जमीन पर प्लाट दिये जाए, जैसा कि साथ वाले राज्य में हो रहा है। 20 प्रतिशत जमीन किसानों को मिलें।
4. जैसे पहले व्यवस्था कि किसानों को विकास की गई जमीन से रिहायसी व व्यवसाई प्लाट दिये जाने चाहिए।

आयुक्त/(योजना) II
निदेशक 1/5/12

2/5/12
Dir (MPR)

AD(PS) 9/5

5. किसानों के पुर्नवास की व्यवस्था हो।

6. हमारे गांव में चक बंधी 1954 में हुई थी, तब लाल डोरा बढ़ा था, तब से अब तक रिहायसी एरिया नही बढ़ा और परिवार बढ़े। ये पैतरिक भूमी है, इसे एक इकाई न माना जाए। इसके बटवारे की स्विकृती होनी चाहिए।

7. शहर और गांव की जरूरतें अलग अलग है। शहर में जो भवन बनाए जाते हैं वे एक परिवार के लिए होते है। गांव में संयुक्त परिवार को देखते हुए बनाए जाते है। इसलिए शहर के भवन निर्माण कानून गांव में व्यवहारिक नहीं है। अतः FAR/ निमार्ण सम्बंधी कानून गांव में न थोपे जाएं।

8. लाल डोरा व विस्तार आबादी में मिक्स यूज लागु हो जिससे गांव में ही सभी सुविधाएं मिल सकें। आपसे नम्र निवेदन है कि सहानूभूती पूर्वक गांव वालों के दर्द को समझते हुए समस्या का समाधान करेंगे।

धन्यवाद

भवदीय

प्रतिलिपी

1. शहरी विकास मंत्रालय
   भारत सरकार
   नई दिल्ली
2. वाईस चेयर मैन
   दिल्ली विकास प्राधिकरण
   विकास भवन
   नई दिल्ली